



जलीय कृषि फसल बीमा

प्रलिस के ललल:

जलीय कृषि फसल बीमा, [प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना \(PMMSY\)](#), झीगा पालन, [मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना वकिस कोष \(FIDF\)](#), [नीली करांती](#)

मेन्स के ललल:

जलीय कृषि फसल बीमा, इसकी आवश्यकता और चुनौतलतल, देश के वभलनलन हसलसों में प्रमुख फसल पैटर्न

[सुरोत: पी.आई.बी](#)

चरूा में कूरुल?

हलल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन वभलग द्वारा वर्तमान में जारी [प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना \(PMMSY\)](#) के तहत [झीगा एवं मछली पालन के ललल जलीय कृषि फसल बीमा योजना](#) के कारुयानुवयन में पेश आने वाली तकनीकी चुनौतलतल पर चरूा की गई ।

- जलीय कृषकों के समकूष आने वाले जोखमलतल को कम करने के ललल, [NFDB \(राष्ट्रीय मत्स्य वकिस बोरड\)](#), जो PMMSY के कारुयानुवयन के ललल केंद्रक अभकलरण (नोडल एजेंसी) है, के द्वारा जलीय कृषि फसल बीमा को लागू करने का प्रसूताव रखा गया है ।
- इस योजना का लकूषुय चयनलतल राजूरुल [आंध्र प्रदेश, बहलर, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं ओडलशल](#) में एक वर्ष के ललल प्ररुयोगकल आधार पर खारे पानी के झीगा और मछली के ललल बुनयलदी संरकूषण प्रदान करना है ।

जलीय कृषल (Aquaculture):

- **परचलल:**
 - **जलीय कृषल/एकवाकलचर** शबद मुखुय रूड से कसी वुयवसयकल, मनोरंजक अथवा सारुवजनकल उददेशुय के ललल नरुतुरतल जलीय वातावरण में **जलीय जीवल के पालन को संदरभतल करता है** ।
 - इसके तहत जलीय जीवल का प्रजनन एवं पालन और डुधों की कटाई **भूमल पर मानव नरलमतल "बंद" प्रणाललतल सहतल** सभी प्रकार के जलीय वातावरण में होती है ।
- **उददेशुय:**
 - मानव उपभोग हेतु खादुय उत्पादन,
 - संकटापनन और संकटग्रसूत प्रजातलतल की आबादी की पुनरुप्राप्तल
 - परुयावास पुनरुभरण,
 - वनुय सूटोक वृदधल,
 - बैटफशल का उत्पादन और
 - चडुडलघरुल एवं एकवैरुयलतल के ललल मत्सुय पालन

नोट: झीगा पालन **मानव उपभोग हेतु झीगा** का उत्पादन करने के ललल समुद्री या अलवणीय जल परवलश में एक जलीय कृषल-आधारतल गतवलधल है ।

- भारत में झीगा के उत्पादन हेतु उपयुक्त अनुमानतल लवणीय जल कूषेतर लगभग 11.91 लाख हेकटेयर है जसलका 10 राजूरुल एवं केंद्र शासतल प्रदेशुल; पशुचमल बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमललनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक वसलतार है ।
- वर्तमान में इसमें से केवल लगभग 1.2 लाख हेकटेयर भूमल पर झीगा पालन कलया जाता है और इसललल उदुयमलतल के ललल जलीय कृषल-आधारतल गतवलधल के इस कूषेतर में उदुयम करने की काफुी गुंजाइश मौजूद है ।



एक्वाकल्चर बीमा की आवश्यकता:

■ एक्वाकल्चर बीमा:

- एक्वाकल्चर बीमा एक प्रकार का बीमा है जो विशेष रूप से एक्वाकल्चर (जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये मछली, झींगा तथा अन्य जलीय प्रजातियों का उत्पादन है) में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस प्रकार का बीमा जलीय कृषिकार्यों के सामने आने वाले जोखिमों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये जारी किया गया है।

■ बीमा की आवश्यकता:

○ जोखिम प्रबंधन:

- एक्वाकल्चर वभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, जिनमें बीमारियाँ, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जल की गुणवत्ता के मुद्दे और प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।
- इन जोखिमों से एक्वाकल्चर कृषकों को वृहत वित्तीय नुकसान हो सकता है। यह बीमा ऐसी प्रतिकूल घटनाओं की स्थिति में वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करके इन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने में सहायता करता है।

○ नविश सुरक्षा:

- बीमा, बुनियादी ढाँचे में किये गए संपूर्ण नविश की सुरक्षा करता है तथा सुनिश्चित करता है कि संचालन में लगाए गए वित्तीय संसाधन अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित हैं।

○ बाज़ार का विश्वास:

- जलीय कृषि बीमा की उपलब्धता उद्योग में नविशकों और किसानों का विश्वास बढ़ा सकती है तथा व्यक्तियों को जलीय कृषि में नविश करने एवं अपने परिचालन का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।

○ वहनीयता:

- बीमा अप्रत्याशित असफलताओं से उबरने का साधन प्रदान करके जलीय कृषि संचालन की स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, यह बदले में, जोखिम और बीमा प्रीमियम को कम करने के लिये जलीय कृषि में ज़िम्मेदार एवं टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकता है।

जलकृषि फिसल बीमा योजना को लागू करने में चुनौतियाँ:

■ डेटा संग्रह और मूल्यांकन:

- जोखिमों का आकलन करने और उचित बीमा प्रीमियम निर्धारित करने के लिये सटीक एवं नवीनतम डेटा की आवश्यकता होती है।
- जलीय कृषि के लिये ऐसा डेटा संग्रह करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें जटिल पर्यावरणीय और जैविक कारक शामिल होते हैं।

■ जागरूकता और शिक्षा:

- कई मछुआरे और किसान बीमा की अवधारणा को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। बीमा योजना के लाभों और प्रक्रियाओं पर जागरूकता बढ़ाना तथा शिक्षा प्रदान करना योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये आवश्यक है।

■ प्रतिकूल चयन:

- इसमें प्रतिकूल चयन का जोखिम है जिसमें केवल उच्च जोखिम वाले लोग ही बीमा योजना में भाग लेने का विकल्प चुनते हैं, इससे स्थायी प्रीमियम स्तर प्राप्त नहीं होता। जोखिम स्तर की एक विविध शृंखला को शामिल करने के लिये प्रतिभागी पूल को संतुलित करना एक चुनौती है।
- दावों के समय पर प्रसंस्करण और प्रीमियम भुगतान सहित बीमा योजना का प्रशासन जटिल हो सकता है।

जलकृषि से संबंधित सरकारी पहल:

- [मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास नधि \(FIDF\)](#)
- [नीली क्रांति](#)
- [कसिन करेडिट कार्ड \(KCC\) का वसितार](#)
- [समुद्री उत्पाद नरियात विकास प्राधकिरण](#)
- [समुद्री शैवाल पारक](#)

आगे की राह

- PMSSY के तहत जलीय कृषि फिसल बीमा योजना का उद्देश्य मछुआरों और जलीय कृषि कसिनों के लिये जोखमि को कम करना, नविश तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हालाँकि इसे डेटा, जागरूकता, प्रतिकूल चयन और प्रशासन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इसके सफल कार्यान्वयन और स्थिरता के लिये प्रमुख हतिधारकों की भागीदारी तथा एक शासकीय संरचना की स्थापना महत्त्वपूर्ण है।
- **झींगा और मछली पालन के लिये जलीय कृषि फिसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक शासकीय संरचना आवश्यक है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'नीली क्रांति' को परभाषति करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018)

प्रश्न. सहायकियों सस्यन प्रतरूप, सस्य वविधिता और कृषकों की आर्थिक स्थतिको कसि प्रकार प्रभावति करती हैं? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फिसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/aquaculture-crop-insurance>